कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक–465/11सी–कानपुर/FP/UP/Road/22879/2016, दिनांक, लखनऊ, अगस्त 17, 2017

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक(के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र,
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, से0–एच, अलीगंज,
लखनऊ।

विषयः– कानपुर नगर में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जी0टी0रोड किमी0 0.00 से 10.97 तक (कल्याणपुर से बिठूर तक) चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु 6.011 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 137 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू.पी./06/19/2017/एफ0सी0/134,दिनांक 12.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा इंगित सूचनाओं के निराकरण हेतु पत्र सम्बन्धित कार्यालय को इस कार्यालय द्वारा पृष्ठांकित किया गया था। संदर्भित पत्र में उल्लिखित सूचनाओं को पूर्ण करने की कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थी।

उक्त के कम में मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर ने अपने पत्रांक–786/14–1, दिनांक 14.08.2017 द्वारा बिन्दुवार निराकरण कर अभिलेख इस कार्यालय को प्रेषित किया है, जिसकी एक प्रति सीडी सहित इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।
(सी0डी0)सहित।

भवदीय,

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 465 /, उक्तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन, वन अनुभाग–2, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मुख्य वन संरक्षक, कानपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी बिन्दुवार सूचना/अभिलेख की प्रति संलग्नक सहित भारत सरकार अपने स्तर से प्रेषित करने (आफ लाईन/ऑन लाइन) की कृपा करे। (संलग्नक–उपरोक्तानुसार)

2– मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर।

3– प्रभागीय निदेशक, कानपुर।

4– श्री एम0के0मिश्रा, अधिशासी अभियन्ता, कानपुर विकास प्राधिकरण कानपुर।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।